संख्या– 05/2022/2125/छप्पन-2021-115/1989

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2022

विषय: आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण एवं टर्मिनल बिल्डिंग से आच्छादित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग एवं वृक्षों के पातन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-396/आर0सी0एस0-2021/एम-3/2018 दिनांक 08 नवम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से आच्छादित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग एवं वृक्षों के पातन हेतु कुल रुपये 46,16,357/- (छियालीस लाख सोलह हज़ार तीन सौ सत्तावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने निर्गत किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से आच्छादित 3.6207 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग एवं बाधक 255 वृक्षों/पौधों के पातन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 22.01.2021 की शर्त संख्या 23 व 24 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा अपने पत्र संख्या- 1198/डीएलआरसी-वन भूमि/2021-22 दिनांक 02.06.2021 के अन्तर्गत प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट हेतु रू0 35,00,770/- तथा पट्टा विलेख के आलेख्य के विधीक्षण हेतु रू0 6,000/- कुल रू0 35,06,770/-तथा जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज में हवाई पट्टी के टर्मिनल भवन के निर्माण में प्रभावित 0.627038 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 09.04.2021 की शर्त संख्या 20 व 21 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा अपने पत्र संख्या-1212/डीएलआरसी वन भूमि/2021-22 दिनांक 05.06.2021 के अन्तर्गत प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट हेतु रू011,03,587/- तथा पट्टा विलेख के आलेख्य के विधीक्षण हेतु रू0 6,000/- कुल रू0 11,09,587/- अर्थात् म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण एवं टर्मिनल बिल्डिंग से आच्छादित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग एवं वृक्षों के पातन हेतु कुल रुपये 46,16,357/- (छियालीस लाख सोलह हज़ार तीन सौ सत्तावन मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में उक्त धनराशि रू0 46,16,357/-

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(छियालीस लाख सोलह हज़ार तीन सौ सत्तावन मात्र)को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(8) कार्य की विशिष्टियों मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जाएगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 46,16,357/- (छियालीस लाख सोलह हज़ार तीन सौ सत्तावन मात्र)आवंटित कर तत्काल जिलाधिकारी, सोनभद्र के निर्वतन पर रखी जाएगी।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को शीघ्र सूचित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण,विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/10-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

पृ0सं0-05/2022/2125(1)/छप्पन-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- आयुक्त, मिर्ज़ापुर मण्डल, मिर्ज़ापुर।
4- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
6- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4.
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://s

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।